2024(3) eILR(PAT) HC 277

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2017 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं० 649

थाना कांड सं० 4 वर्ष-2017 थाना-जुरावनपुर जिला-वैशाली, से उत्पन्न

==

रणजीत कुमार उर्फ गुड्डू स्वर्गीय हरे राम सिंह का पुत्र, मोहल्ला-खुदौल, गांधी मैदान, थाना-सुपौल जिला-सुपौल का निवासी है।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य
2. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना।
3. पुलिस उपमहानिरीक्षक, तिरहुत, मुज़फ़्फ़रपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, वैशाली, हाजीपुर।
5. कार्यालय प्रभारी, जुराबनपुर, थाना, जिला-वैशाली।

.... उत्तरदाता/गण

==

अधिनियम/धारा/नियमः

- बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 धाराएँ 30(ए), 38 एवं 41
- भारतीय दंड संहिता धारा 120 बी

जुराबनपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज दूसरी प्राथमिकी को रद्द करने के लिए दायर आपराधिक रिट-पहली प्राथमिकी गुप्त सूचना के आधार पर खुसरोपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी जिसके कारण एक वाहन से अवैध शराब बरामद हुई थी।गिरफ्तार व्यक्तियों ने बयान दिया कि रास्ते में उन्होंने जुराबनपुर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में वीरपुर हाऊस कुछ अवैध शराब उतारी थी।-2 दूसरी एफ़. आई. आर. गुप्त सूचना के आधार पर जुराबनपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी जिसके कारण वीरपुर हाऊस उसी के घर से अवैध शराब बरामद हुई थी जहाँ अवैध शराब का भंडारण की गई थी। यह याचिकाकर्ताओं का मामला था कि दोनों प्राथमिकियों में घटनाएँ एक ही लेन-देन का हिस्सा हैं और इस प्रकार, दूसरी प्राथमिकी को रद्द किया जाना चाहिए।

आयोजित-दूसरी एफ़. आई. आर. केवल तभी स्वीकार की जाती है जब अपराध का आरोप उसी घटना के संबंध में पहली एफ़. आई. आर. से बिल्कुल भिन्न और अलग हो।- इस मामले में, पूरी घटना और लेन-देन एक ही लेन-देन में हुआ और बिहार राज्य में अवैध शराब के परिवहन और अवैध वितरण के माध्यम से, आरोपी व्यक्तियों ने एक ही अपराध किया-दूसरी प्राथमिकी रद्द कर दी गई।

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2017 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं० 649

थाना कांड सं० 4 वर्ष-2017 थाना-जुरावनपुर जिला-वैशाली, से उत्पन्न

==

रणजीत कुमार उर्फ गुड्डू स्वर्गीय हरे राम सिंह का पुत्र, मोहल्ला-खुदौल, गांधी मैदान, थाना-सुपौल जिला-सुपौल का निवासी है।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य
2. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना।
3. पुलिस उपमहानिरीक्षक, तिरहुत, मुज़फ़्फ़रपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, वैशाली, हाजीपुर।
5. कार्यालय प्रभारी, जुराबनपुर, थाना, जिला-वैशाली।

.... उत्तरदाता/गण

==

उपस्थिति

याचिकाकर्ताओं के लिएः श्री संजीव रंजन, अधिवक्ता

सुश्री आस्था अनन्या,

प्रत्यर्थी/ओं के अधिवक्ताः श्री अरविन्द कुमार, अधिवक्ता,

ई. ओ. यू. के लिएः श्री वी०एन०पी० सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री विजय आनंद, अधिवक्ता

==

कोरमःमाननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक चौधरी

सी०ए०वी० निर्णय

तारीखः01-03-2024

2017 का खुसरूपुर थाना कांड संख्या 21, दिनांक 5 फरवरी, 2017, खुसरूपुर थाना के एस. एच. ओ. मृत्युंजय कुमार द्वारा की गई एक *स्वतः संज्ञान* शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 4 फरवरी, 2017 को उक्त थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पुरानी सड़क पर हरदास बीघा पेट्रोल पंप में रात्रि करीब 10:00 बजे वह एस. एच. ओ. विनय कुमार मिश्रा, सशस्त्र बलों के कांस्टेबल अनिल कुमार सिंह, मिथलेश कुमार, राकेश कुमार सिंह दास और राणा के साथ रात में गश्त कर रहा था। जब वे हरदास बीघा पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, तो एक मो. मुस्ताक पटना के विशेष कार्य बल (जिसे बाद में एसटीएफ के रूप में संदर्भित किया गया) से जुड़े, ने उन्हें टेलीफोन पर सूचित किया कि उन्हें इस आशय की गुप्त जानकारी मिली है कि हरियाणा राज्य के कुछ लोगों ने बिहार के शराब रहित राज्य में शराब बेचने के लिए एक संगठित सिंडिकेट का गठन किया है। यह भी बताया गया कि पिछले दो-तीन महीनों से सिंडिकेट बनाने वाले लोगों का एक समूह बड़ी रकम कमाने के लिए पिकअप वैन के अंदर बंद डिब्बों में शराब बेच रहा था। 4 फरवरी, 2017 को भी, पंजीकरण संख्या एचआर 62-8670 के साथ एक बड़ा पिकअप कंटेनर पर जेड. एक्स. प्लस सुरक्षा के साथ "बैंक ड्यूटी, भारत सरकार" का स्टिकर चिपकाया गया था, लोग राज्य के विभिन्न स्थानों पर जा रहे थे और भारतीय निर्मित विदेशी शराब (जिसे बाद में "आई. एम. एफ. एल". के रूप में संदर्भित किया गया है) की आपूर्ति ग्यासपुर पीपा पुल और खुसरूपुर होते हुए दियारा क्षेत्र में कर रहे थे और उक्त पिक-अप वैन के बाद एक टाटा इंडिगो कार थी, जिस पर पंजीकरण संख्या थी। बी. आर. 1. सी. एफ.-2846, जिसके अंदर भी शराब थी। सिंडिकेट के नेता जल्द ही शराब की आपूर्ति के बदले पैसे प्राप्त करने के लिए आएगा।

2. एसटीएफ से उक्त जानकारी प्राप्त करने पर, सूचक ने बल को आवश्यक निर्देश दिए, और सूचना देने वाले के साथ पुलिस कर्मियों ने उक्त कंटेनर के आने का इंतजार करना शुरू कर दिया। लगभग 11:00 बजे रात्रि को, पंजीकरण संख्या एच आर 62-8670 वाली एक सुरक्षा वैन ग्यासपुर की ओर से आया था। पुलिस दल ने उक्त वाहन को घेर लिया और उसे रोक दिया। इस

बीच, एक टाटा इंडिगो ईसीएसएक्सएल कार, जिसका पंजीकरण सं० बीआर 01 सीएफ-2486 भी पीछे से आया और उसे पकड़ लिया गया। इस बीच, एसटीएफ की कमांडो टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस की कार्रवाई को देखने के लिए स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। पुलिस ने दो स्वतंत्र गवाहों, नंदू पासवान और उमेश कुमार को बुलाया और सुरक्षा वैन और उससे जुड़े बंद कंटेनर की तलाशी ली। पुलिस ने हरियाणा का 375 मिलीलीटर का एक कार्टून बरामद किया। रॉयल स्टैग क्लासिक व्हिस्की (24 बोतलें) जिसमें दो बोतलें खाली हैं। उक्त कार्टून और बोतलों में, इस पर विशेष रूप से "केवल हरियाणा में बिक्री के लिए" मुहर लगाई गई थी। जब सुरक्षा वैन के चालक से पूछा गया तो उसने अपना नाम हरियाणा के हिसार निवासी सुमित बजाज बताया। ड्राइवर के बाईं ओर एक युवक बैठा था, उसने अपना नाम मयंक बजाज बताया। वे भी हिसार के निवासी थे। फिर, पुलिस दल ने उक्त टाटा इंडिगो कार को जब्त कर लिया। उक्त कार को रंजीत कुमार उर्फ गुड्डू चला रहा था। ड्राइवर के बगल की सीट पर बैठे एक अन्य व्यक्ति ने अपना नाम अजयंत बताया। उक्त कार की पिछली सीट पर अनिल कुमार जयसवाल और संतोष चौधरी बैठे थे। तलाशी लेने पर पुलिस ने 375 मिलीलीटर का एक कार्टून बरामद किया। कार के बूट स्थान से रॉयल स्टैग क्लासिक व्हिस्की। पिकअप वैन से बरामद आई. एम. एफ. एल. और टाटा इंडिगो कार को पुलिस ने जब्त कर लिया और जब्ती की उचित सूची तैयार की गई। गिरफ्तार व्यक्ति बिहार में आई. एम. एफ. एल. के अपने कब्जे और बिक्री के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सके। तदनुसार, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी व्यक्ति बिहार में अवैध रूप से आई. एम. एफ. एल. बेचने के लिए एक सिंडिकेट चलाते थे। जब्त की गई शराब को अजयंत द्वारा ऑर्डर किया गया था और उन्हें जुराबनपुर थाना के भीतर वीरपुर, दियारा में एक लगन राम के घर और दुकान में उतारा जाना था। पूछताछ के दौरान यह भी पता चला कि पटना में अर्जुन राय नामक व्यक्ति को शराब के दो कार्टून दिए गए थे। अभियुक्त व्यक्तियों ने बयान दिया कि अजयंत के अनुरोध पर उन्होंने उसी पिकअप वैन से वैशाली और पटना और कई अन्य स्थानों पर आई. एम. एफ. एल. की आपूर्ति की। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि आई. एम. एफ. एल. के 116 कार्टून उनके घर और और अर्जुन राय की दुकान में संग्रहीत किए गए थे। बदले में, अजयंत को 5,00,000

रू०/- और कुल बकाया राशि रु। 8,12,500-। तलाशी और जब्ती पूरी होने पर मृत्युंजय कुमार ने शिकायत दर्ज कराई।

3. फिर से, जुराबनपुर थाना से जुड़े पुलिस उप-निरीक्षक नवीन कुमार सिंह ने इस आशय की *स्वतः संज्ञान* शिकायत दर्ज कराई कि 5 फरवरी, 2017 को लगभग 10.30 शाम को, वह रात में गश्त करने और छापेमारी करने के लिए पुलिस बल के साथ थाना से निकला। रात की गश्त के दौरान वे शिवनगर लकारबाबा चौक के पास पहुंचे। लगभग 02.15 बजे प्रातः, खुसरूपुर थाना से जुड़े अधिकारियों और एस. टी. एफ. के सदस्यों ने उक्त नवीन कुमार सिंह को सूचित किया कि उन्हें सूचना मिली है कि उपद्रवियों के एक समूह ने हरियाणा राज्य से पटना, वीरपुर दियारा और अन्य क्षेत्रों में अवैध रूप से आपूर्ति करने के लिए शराब की खरीद की है ताकि प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए शराब का भंडारण और बिक्री की जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि छापे के दौरान उन्होंने छह लोगों को गिरफ्तार किया। उन्हें यह भी बताया गया कि आरोपी व्यक्तियों ने अर्जुन राय के गोदाम के पीछे शराब के 70 कार्टून की आपूर्ति की। उक्त जानकारी को सत्यापित करने के लिए, पुलिस दल विशेष सशस्त्र पुलिस, सुदामा मंडल, गांधारी प्रसाद और जलील मोहम्मद के साथ अर्जुन राय के ठिकानों पर पहुंचा और तलाशी और छापेमारी की। साथ ही, खुसरोपुर थाना पुलिस और पटना के एस. टी. एफ. सशस्त्र बलों के साथ वहां पहुंचे और आरोपी व्यक्तियों के बयान के अनुसार तलाशी ली। तलाशी के दौरान, आई. एम. एफ. एल. बिंदेश्वर राय के घर के एक कमरे से मिला। उक्त आई. एम. एफ. एल. को दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में जब्त किया गया। आई. एम. एफ. एल. की कुल संख्या विभिन्न ब्रांडों के 70 कार्टून थे। स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में जब्ती सूची तैयार की गई और आरोपी सुमित बजाज, अजयंत, मयंक बजाज, अनिल कुमार जायसवाल, रंजीत कुमार, संतोष चौधरी, अर्जुन राय और बिंधश्वर राय से पूछताछ की गई।

4. बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 की धारा 30 (ए), 38 और 41 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज 2017 के 5 फरवरी, 2017 के जुराबनपुर थाना कांड मामला संख्या 04 को रद्द करने के लिए वर्तमान आपराधिक रिट आवेदन दायर किया गया है।

5.याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि उसे बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 की धारा 30 (ए), 38 और 41 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 120 बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज 2017 के खुसरुपुर थाना कांड मामला संख्या 21, दिनांक 5 फरवरी, 2017 के संबंध में गिरफ्तार किया गया था।

6. याचिकाकर्ता के अनुसार, 2017 का जुराबनपुर थाना कांड संख्या 4 वीरपुर के बिंदेश्वर राय के घर से आई. एम. एफ. एल. की बरामदगी के आधर पर दर्ज की गई थी।

7. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अभियुक्त व्यक्तियों को 2017 के खुसरूपुर थाना कांड संख्या 21 के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने वीरपुर के बिंदेश्वर राय के घर में आई. एम. एफ. एल. के भंडारण के संबंध में बयान दिया। उक्त स्थान जुराबनपुर थाना के अधिकार क्षेत्र में है। इसलिए, जुराबनपुर थाना के पुलिस अधिकारी को सतर्क कर दिया गया और उक्त बिंदेश्वर राय के घर पर संयुक्त छापेमारी की गई और विदेशी शराब बरामद की गई।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि खुसरूपुर थाना से जुड़ी पुलिस और जुराबनपुर थाना से जुड़ी पुलिस द्वारा की गई छापेमारी एक ही लेनदेन के दौरान की गई थी। इसलिए, दो अलग-अलग मामले एक खुसरूपुर थाना के द्वारा और दूसरा जुराबनपुर थाना के द्वारा दर्ज करने का कोई कारण नहीं हैं।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय का उल्लेख करते हुए ***टी. टी. एंटनी केरल राज्य और अन्य बनाम (2001) 6 एस. सी. सी. 181*** में प्रतिवेदित के मामले में न्यायालय, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि कोई दूसरा एफ. आई. आर. नहीं हो सकता है और परिणामस्वरूप कोई नई जाँच, बाद में प्राप्् होने वाली सूचना जो संज्ञेय अपराध या एक ही घटना, जो एक या अधिक संज्ञेय अपराधों को जन्म देती है के आधार पर नहीं हो सकती है। केवल संज्ञेय अपराध के बारे में जानकारी, जो पहले थाना में दर्ज की जाती है और थाना के प्रभारी अधिकारी द्वारा डायरी में दर्ज की जाती है, को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत प्राथमिकी माना जा सकता है। बाद के सभी बयानों/सूचनाओं को दं०प्र०सं० की धारा 162 के अंतर्गत आएगा। थाना के प्रभारी अधिकारी को न केवल प्राथमिकी में दर्ज संज्ञेय अपराध की जांच करनी होगी, बल्कि उसी लेनदेन या उसी

घटना के दौरान किए गए अन्य संबंधित अपराधों की भी जांच करनी होगी और दं०प्र०सं० की धारा 173 में प्रदान की गई एक या अधिक प्रतिवेदन दायर करनी होगी।

10. याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि 5 फरवरी, 2017 को 2017 के खुसरूपुर थाना कांड सं० 21 से संबद्ध पुलिस द्वारा छह अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के दौरान, खुसरूपुर थाना के मुखबिर को अर्जुन राय से पता चला कि आरोपी व्यक्तियों ने अर्जुन राय के गोदाम के पीछे शराब के 70 कार्टून की आपूर्ति की थी। उक्त जानकारी जुराबनपुर थाना के उपनिरीक्षक नवीन कुमार सिंह को दी गई और खुसरूपुर थाना से संबद्ध एसटीएफ अधिकारियों के साथ-साथ पुलिस बल के अधिकारियों और सदस्यों ने बिंदेश्वर राय के घर पर छापा मारा और उसके घर से बड़ी मात्रा में आई. एम. एफ. एल. बरामद किया। इस प्रकार, अभियुक्त व्यक्तियों की आशंका, टाटा इंडिगो कार की पिकअप वैन और बूट स्पेस से आईएमएफएल की बरामदगी के साथ-साथ बिंदेश्वर राय के घर में विदेशी शराब की आपूर्ति और छिपाने के बारे में जानकारी प्राप्त करना, एक ही लेनदेन के दौरान हुआ। इसलिए, 5 फरवरी, 2017 का 2017 का जुराबांपुर थाना कांड संख्या 04 रद्द होने योग्य है।

11. अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने आगे ***बाबूभाई बनाम गुजरात राज्य और अन्य (2010) उच्चतम न्यायालय के 12 मामलों में रिपोर्ट किए गए 254*** के मामले में एक और निर्णय का उल्लेख किया। उक्त प्रतिवेदन में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 154 दं०प्र०सं० के तहत प्राथमिकी थाना के प्रभारी अधिकारी द्वारा दर्ज संज्ञेय अपराध की पहली जानकारी है। यह आपराधिक कानून के तंत्र को गति देता है और जांच के प्रारंभ को चिह्नित करता है जो दं०प्र०सं० की धारा 169 या 170 के तहत एक राय के गठन के साथ समाप्त होता है, जैसा भी मामला हो। इस प्रकार, यह बहुत संभव है कि एक या एक से अधिक संज्ञेय अपराधों से जुड़ी एक ही घटना के संबंध में थान के प्रभारी पुलिस अधिकारी को एक से अधिक जानकारी दी जाए। ऐसे मामले में, उसे डायरी में प्रत्येक जानकारी दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। प्रथम सूचना प्रतिवेदन में उल्लिखित तथ्यों की जांच शुरू होने के बाद मौखिक या लिखित रूप से दी गई अन्य सभी जानकारी दं०प्र०सं० की धारा 162 के तहत आने वाले बयान होंगे।

12. बाद के प्राथमिकी के मामले में, न्यायालय को दोनों प्राथमिकी को उत्पन्न करने वाले तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करनी होती है और यह पता लगाने के लिए समानता का परीक्षण लागू किया जाना चाहिए कि क्या दोनों प्राथमिकी एक ही घटना के संबंध में एक ही घटना से संबंधित हैं या उन घटनाओं के संबंध में हैं जो एक ही लेनदेन के दो या दो से अधिक भाग हैं। यदि उत्तर सकारात्मक है, तो दूसरी प्राथमिकी रद्द किया जा सकता है। हालांकि, यदि इसके विपरीत साबित होता है, जहां दूसरे प्राथमिकी में संस्करण अलग है और वे दो अलग-अलग घटनाओं/अपराधों के संबंध में हैं, तो दूसरा प्राथमिकी स्वीकार्य है।

13. वर्तमान मामले पर आते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि दूसरा प्राथमिकी 2017 का 5 फरवरी, 2017 का जुराबनपुर थाना कांड संख्या 04 इस तथ्य के कारण दर्ज नहीं किया जा सकता है कि 4 फरवरी, 2017 की रात को हुई घटना यह थी कि कथित रूप से सिंडिकेट बनाने वाले कुछ आरोपी व्यक्ति आई. एम. एफ. एल. को हरियाणा से बिहार ले जा रहे थे। वे बिहार राज्य में विभिन्न स्थानों पर आई. एम. एफ. एल. को उतार रहे थे। ग्यासपुर पीपा पुल होते हुए दियारा क्षेत्र की ओर जाते समय, पुलिस ने एक पिक वैन को पकड़ लिया, उक्त पिक अप वैन के चालक और सहायक और टाटा इंडिगो कार में यात्रा कर रहे चार लोगों को पिक अप वैन का पीछा करते हुए गिरफ्तार कर लिया। आशंका के बाद, उनसे पूछताछ की गई और उनमें से एक ने कहा कि आई. एम. एफ. एल. की भारी मात्रा को जुराबनुपर में उतारा गया था। इस प्रकार, यदि एक ही लेन-देन का कुछ हिस्सा एक थाने के अधिकार क्षेत्र में और कुछ हिस्सा दूसरे थाने के अधिकार क्षेत्र में होता है, तो एक ही लेन-देन में किए गए समान और समान अपराध का खुलासा करते हुए, दोनों थानों में से किसी एक में आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है। चूंकि 2017 का खुसरूपुर थाना कांड सं० संख्या 21, दिनांक 5 फरवरी, 2017, पहले दर्ज किया गया था, इसलिए 2017 का जुराबनपुर थाना कांड संख्या 04, दिनांक 5 फरवरी, 2017 को रद्द किया जाना चाहिए।

14. इसी सिद्धांत पर, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों का उल्लेख करते हैंः

(i) ***चिर्रा शिवराज बनाम आंध्र प्रदेश राज्यः(2010) 14 एस. सी. सी. 444***

((ii) ***अमितभाई अनिलचंद्र शाह बनाम। केंद्रीय जांच ब्यूरो और एक अन्य: (2013) 6 एस. सी. सी. 348***

(iii) ***अवधेश कुमार झा उर्फ अखिलेश कुमार झा और अन्य बनाम बिहार राज्यः(2016) 3 एससीसी 8***

(iv) ***दीपू सिंह उर्फ ब्रज किशोर बनाम बिहार राज्य, 21 मार्च, 2020 को 2021 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 1169 में एक समन्वय पीठ द्वारा दिया गया।***

15. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्तां ने आपराधिक मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य निर्णय का भी उल्लेख किया है ***2023 की अपील संख्या 2343 (हाजी इकबाल उर्फ बाला एस०पी०ओ०ए० के माध्यम से*** बनाम। यू. पी. राज्य और अन्य राज्य)। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 14 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब भी कोई अभियुक्त संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्राथमिकी या आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए संवैधानिक न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है, अनिवार्य रूप से इस आधार पर कि ऐसी कार्यवाही स्पष्ट रूप से तुच्छ या परेशान करने वाली होती है या प्रतिशोध लेने के गुप्त उद्देश्य से शुरू की जाती है, तो ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय का कर्तव्य है कि वह प्राथमिकी को सावधानी से और थोड़ा अधिक बारीकी से देखे, क्योंकि एक बार जब शिकायतकर्ता व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने के लिए एक गुप्त उद्देश्य के साथ अभियुक्त के खिलाफ आगे बढ़ने का फैसला करता है, आदि। ., तब वह यह सुनिश्चित करेगा कि प्राथमिकी/शिकायत का सभी आवश्यक अभिवचनों के साथ बहुत अच्छी तरह से मसौदा तैयार किया गया है। शिकायतकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि प्राथमिकी/शिकायत में किए गए कथन ऐसे हों कि वे गठन करने के लिए आवश्यक सामग्री कथित अपराध का खुलासा करें। इसलिए, न्यायालय के लिए यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि कथित अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक सामग्री का खुलासा किया गया है या नहीं, केवल प्राथमिकी/शिकायत में किए गए कथनों पर गौर करना पर्याप्त नहीं होगा। तुच्छ या परेशान करने वाली कार्यवाहियों में, न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अभिकथनों के अलावा मामले के अभिलेखों से उभरने वाली कई अन्य परिचर परिस्थितियों पर गौर करे और यदि आवश्यक हो, तो उचित सावधानी और सावधानी के साथ गुढ अर्थ को समझने का प्रयास करे।

न्यायालय को भा०दं०सं० की धारा 482 या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय खुद को केवल एक मामले के चरण तक ही सीमित रखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मामले की शुरुआत/पंजीकरण के साथ-साथ जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री को ध्यान में रखने का अधिकार है।

16. अब, यदि सभी परिस्थितियों में, जिससे प्राथमिकी शुरू हुई, का बारीकी से आकलन किया जाता है, तो यह पाया जाएगा कि आरोपी बिंदेश्वर राय को गिरफ्तार किया गया था और खुसरूपुर थाना के भीतर सड़क पर शुरू हुई घटना के उसी लेनदेन के दौरान बड़ी मात्रा में आई. एम. एफ. एल. बरामद किया गया था। इस मुद्दे को निम्नलिखित उदाहरण से समझाया जा सकता है। नशीली दवाओं की डिलीवरी के दौरान एक ड्रग पैडलर को एक विशेष स्थान से गिरफ्तार किया जाता है। उसके खिलाफ स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के दंडात्मक प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया गया है। जाँच के दौरान आरोपी से पूछताछ की गई। उससे पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि वह विभिन्न थानों के अधिकार क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर मादक पदार्थ वितरित करता था। उक्त जानकारी को पूरा करने के लिए, पुलिस ने विभिन्न थानों को उक्त जानकारी दी और तलाशी लेने पर, उन व्यक्तियों से ड्रग्स बरामद किए जिन्हें ड्रग पैडलर ड्रग्स की आपूर्ति करता था। अभियुक्त के बयान के अनुसार मादक पदार्थों की बरामदगी में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की श्रृंखला एक ही लेन-देन में अपराध का गठन करती है और अभियुक्त के खिलाफ केवल एक ही प्राथमिकी शुरू की जाएगी। अभियुक्त के बयान के अनुसार जाँच के दौरान बरामदग, दं०प्र०सं० की धारा 162 के तहत बयान माना जा सकता है। यदि इस तरह के बयान के अनुसरण में वसूली की जाती है, तो यह दं०प्र०सं० की धारा 27 के तहत एक तथ्य की खोज के रूप में एक सबूत के रूप में स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन विभिन्न पुलिस थानों से नशीली दवाओं की ऐसी सभी खोजों से अभियुक्त को अलग-अलग मुकदमों का सामना करने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जाएगा। वर्तमान घटना में भी यही स्थिति है।

17. दूसरी ओर, राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि यदि पहली और दूसरी प्राथमिकी मौलिक रूप से एक-दूसरे से भिन्न हैं क्योंकि दोनों प्राथमिकी के सूचक अलग-अलग जिलों के अलग-अलग अधिकारी है, आरोपी व्यक्ति भी अलग-अलग होते हैं और जांच का

दायरा भी काफी अलग होता है, पहली प्राथमिकी को दूसरी प्राथमिकी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, जो अलग-अलग है और एक-दूसरे से अलग है, अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई का अलग कारण है, अलग-अलग अभियुक्त व्यक्ति हैं।

18. अपने तर्क के समर्थन में, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने ***मेसर्स मझौलिया शुगर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम। बिहार राज्य और अन्य। 2024 (1) पी. एल. जे. आर. 574*** में सूचित किया गया। के मामले का उल्लेख किया। राज्य/प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता भी राज्य के निर्णय पर भरोसा करते हैं। ***अंजू चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य (2013) 6 एस. सी. सी. 384*** में प्रतिवेदन किया है। उपरोक्त रिपोर्ट में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह दिशानिर्देश निर्धारित किया कि किन परिस्थितियों में दूसरी प्राथमिकी को स्वीकार्य माना जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया है कि समानता का परीक्षण लागू किया जाना है। यदि घटना कृत्यों की एक श्रृंखला को संदर्भित करती है जो एक ही लेनदेन बनाने के लिए एक साथ जुड़ी हुई है, तो एक प्राथमिकी होनी चाहिए। ऐसे मामले में दूसरी प्राथमिकी की अनुमति नहीं है। हालाँकि, दूसरी प्राथमिकी एक असंबंधित घटना के लिए और ऐसे परिमाण के अपराध के लिए दर्ज की जा सकती है जो पहली प्राथमिकी के दायरे में नहीं आता है।

19. इसी मुद्दे पर, राज्य/प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता मामले में एक और निर्णय ***रमेशचंद्र नंदलाल पारिख बनाम गुजरात राज्य और ए. एन. आर., (2006) 1 एस. सी. सी. 732 में*** रिपोर्ट किया गया का उल्लेख करते हैं।

20. न्यायिक प्राथमिकता को बारीकी से देखने के बाद, इस न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि दूसरी प्राथमिकी केवल तभी स्वीकार्य है जब अपराध का आरोप उसी घटना के संबंध में पहली प्राथमिकी से बिल्कुल अलग और अलग हो। उदाहरण के लिए, एक दुकानदार एक प्राथमिकी दर्ज करता है जिसमें आरोप लगाया जाता है कि उसकी दुकान को जला दिया गया और क्षतिग्रस्त कर दिया गया। दूसरी प्राथमिकी में, एक अन्य व्यक्ति सांप्रदायिक घृणा, आगजनी और शांति भंग करने की घटना का आरोप लगाता है, जिसके परिणामस्वरूप पहले सूचक की

दुकान सहित आग से संपत्ति नष्ट हो जाती है। उपर्युक्त दो घटनाएं पूरी तरह से अलग-अलग अपराधों का खुलासा करती हैं। ऐसे मामले में दूसरी प्राथमिकी स्वीकार्य है।

21. तत्काल मामले में, कुछ लोगों को खुसरूपुर थाने के अधिकार क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया था। एक पिकअप वैन और एक टाटा इंडिगो कार को रोका गया। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति उक्त दो वाहनों से यात्रा कर रहे थे। तलाशी लेने पर पुलिस ने आई. एम. एफ. एल. के दो कार्टून बरामद किए, एक पिकअप वैन से और दूसरा टाटा इंडिगो कार के बूट स्पेस से। अभियुक्तों में से एक ने खुसरूपुर पुलिस अधिकारी को बयान दिया कि उन्होंने रास्ते में वीरपुर में जुबारनपुर थाना के भीतर बड़ी मात्रा में आई. एम. एफ. एल. को उतार दिया। 2017 के खुसरुपुर थाना कांड सं० 21 के सूचक ने इसकी सूचना जुराबनपुर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को दी थी। जुराबनपुर के अधिकारियों, एसटीएफ कर्मियों और खुसरूपुर थाना के अधिकारियों और सदस्यों द्वारा तलाशी ली गई और आई. एम. एफ. एल. को बिंदेश्वर राय के घर से बरामद किया गया। पूरी घटना और लेन-देन एक ही लेन-देन में हुआ और बिहार राज्य में आई. एम. एफ. एल. के परिवहन और अवैध वितरण के माध्यम से, अभियुक्त व्यक्तियों ने बिहार उत्पाद शुल्क और निषेध अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत एक ही अपराध किया।

22. इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, दूसरी प्राथमिकी यानी 2017 का जुराबनपुर कांड 04 नहीं हो सकती थी। बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 की धारा 30 (ए), 38 और 41 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के तहत 5 फरवरी, 2017 के 2017 के जुराबनपुर थाना कांड 04 के संबंध में प्राथमिकी एतद्द्वारा रद्द कर दी जाती है। हालाँकि, बिंदेश्वर राय के घर से आई. एम. एफ. एल. की गिरफ्तारी और बरामदगी की घटना को 2017 के खुसरूपुर थाना कांड सं० 21 के साथ जोड़ा जाए और मामले की जाँच खुसरूपुर थाना कांड सं० 21/2017 में सभी अभियुक्त व्यक्तियों के संबंध में की जाएगी।

23.उपरोक्त अवलोकन/निर्देश के साथ, इस आपराधिक रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(बिबेक चौधरी, न्यायमूर्ति)

उत्तम/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।